Labour

योगेन्द्र नरायण,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन

समस्त विभागाध्यक्ष
उ0 प्र0

समस्त मंडलायुक्त
उ0 प्र0

समस्त जिलाधिकारी
उ0 प्र0

औद्योगिक विकास अनुभाग –6 **लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर 1998**

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए हर स्तर निवेशोन्मुखी एवं उद्योगपरक वातावरण सृजित करने के प्रति कटिबद्ध है। नई औद्योगिक नीति 1998 में यह प्राविधान किया गया है कि उद्योग अनावश्यक हस्तक्षेपों से मुक्त किया जाए ताकि वे अपनी ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी औद्योगिक ईकाई का निरीक्षण करने के पूर्व सम्बंधित अधिकारी/निरीक्षण सम्बंन्धित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारी/निरीक्षक यह अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे, जबकि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी/निरीक्षक मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त इन अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी अन्य अधिकारी को नहीं करेंगे तथा अनुमति देते समय विवेक का समयक प्रयोग करेंगे।

सम्बन्धित अधिकारी/निरीक्षक द्वारा जिस प्रारूप में अनुमोदन प्राप्त दिया जायेगा, वह सलग्न है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे सम्बन्धित विभागीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष इस निर्णय के अनुरूप 3/11 तक आदेश जारी करेंगे।

इस आदेश से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का सतर्कता दल तथा पुलिस आच्छादित नहीं होगी।

भवदीय

योगेन्द्र नरायण
मुख्य सचिव